नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः 101/2017

अमर सिंह पुत्र श्री काला सिंह जाति राय सिख निवासी चक 1 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. प्रीतो बाई पत्नी श्री काला सिंह जाति राय सिख नि0 चक 1 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2. वीरो बाई पुत्री श्री काला सिंह जाति राय सिख निवासी चक 1 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
3. गुरदयाल सिंह पुत्र श्री काला सिंह जाति राय सिख नि0चक 1 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
4. केहर सिंह पुत्र श्री काला सिंह जाति राय सिख निवासी चक 1 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
5. जसविन्द्र कौर पुत्री श्री काला सिंह पत्नी श्री मलकीत सिंह जाति राय सिख निवासी चक 22 एम.डी. न्यू मण्डी घड़साना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
6. गुरनाम सिंह पुत्र श्री काला सिंह जाति राय सिख निवासी चक 1 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ सीमा बाई पुत्री श्री काला सिंह पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह जाति राय सिख निवासी पुलिस थाना के नजदीक रावला मण्डी तहसील बीकानेर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री अशोक छाबड़ा, राकेश मनचंदा, श्री सर्वजीत छाबड़ा
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट श्री सोमदत्त
3. पैरोकार राज.

दिनांकः 31.07.2019

निर्णय

1. यह अपील बहुकम व आदेश तहसीलदार राजस्व सूरतगढ दिनांक 06.03.2017 प्र.स. 101/2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 7 आपस में सगे भाई बहिन है रेस्पोडेंट संख्या 1 स्व. काला सिंह की पत्नी है व अपीलांट तथा रेस्पोडेंट 2 ता 7 की माता है तथा एक ही परिवार के सदस्य है व स्व. काला सिंह के जायज वारिसान है। काला सिंह पुत्र श्री टहल सिंह का देहान्त दिनांक 14.07.16 को हो चुका है, स्व. काला सिंह के नाम से वाके चक 1 एफ.डी.एम का प.नं. 80/336 में कि.नं. 1 ता 25 25.00 बीघा भूमि व प.नं. 80/337 का कि.न. 1 ता 25 25.00 बीघा भूमि कुल 50.00 बीघा भूमि कुल 50.00 बीघा भूमि अलोट हुई थी उक्त 50.00 बीघा भूमि परिवार के मुखिया होने के कारण अलोट हुई थी। मृतक काला सिंह पुत्र श्री टहल सिंह के नाम चक 1एफ.डी.एम के प.न. 80/336 व प.न. 80/337 में 50.00 बीघा भूमि दर्ज कागजात थी प.न. 80/337 का 25.00 बीघा भूमि समस्त वारिसान के नाम से बहिस्सा बराबर विरासतन इर्ज की गई है। इसके अलावा प.नं. 80/336 का 25.00 बीघा भूमि वसीयत के आधार पर मात्र गुरदयाल सिंह ,केहर सिंह, गुरनाम सिह के नाम दर्ज करने के आदेदश दिये गये हैं जो नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्ती योग्य है क्योकि उक्त अलोट शुदा भूमि में समस्त वारिसान का हक व हिस्सा बनता है। मृतक काला सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामां दिनांक 21.02.13 को तहरीर व तकमील करवाया जिसमें गुरदयाल सिंह, केहर सिहं गुरनाम सिंह पुत्र श्री काला सिंह के पक्ष में तहरीर व तकमील करवाया, उसके बाद एक नया वसीयतनामां दिनांक 09.04.13 को तहरीर व तकमील करवाया जिसमें अपने नाम की अंकित भूमि प.न. 80/336 की 25.00 बीघा भूमि अमर सिंह गुरदयाल सिंह, केहर सिहं पुत्र श्री काला सिंह के नाम से तहरीर व तकमील करवाया। इस वसीयत में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि चक 1 एफ.डी.एम का प.नं. 80/336 में कि.नं. 23,24 व 25 कुल तीन बीघा भूमि अपीलांट को दी गई थी व शेष 22.00 बीघा भूमि गुरदयाल सिंह, केहर सिहं गुरनाम सिंह को दी गई थी। यह वसीयत पश्चातवर्ती वसीयतनामां है जिसमें वसीयतकर्ता द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि इससे पूर्व मेरी उक्त कृषि भूमि के संबंध में कोई वसीयत की गई है तो वह निरस्त समझी जावेगी यह मेरी अंतिम वसीयत है। यह वसीयत दिनांक 09.04.13 को सब रजिस्टार सूरतगढ के समक्ष पंजीबद्ध किया गया है। अतः दिनांक 21.02.13 को वसीयतनामां स्वतः ही निष्प्रभावी हो जात है पश्चातवर्ती वसीयतनामां जो कि रजिस्टर्ड दस्तावेज हे वह कानूनन रूप से लागू होगा लेकिन इस तथ्य को छिपाते हुए रेस्पोडेंट सं. 3,4,6 द्वारा पूववर्ती वसीयतनामां को प्रस्तुत कर अदालत को गुमराह किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
17 सूरतगढ

Scanned by CamScanner

2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अपील 101/17 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की और से अधिवक्ता श्री राकेश मनचंदा पेश हुए एवं रेस्पोडेंट की ओर अधिवक्ता श्री सोमदत्त, व राज पेरोकार उपस्थित आए।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा अपीलांट को बिना सुने बिना कोई सूचना दिये चक 1 एफ.डी.एम का प.नं. 80/336 में 25.00 बीघा भूमि का नामान्तरकरण करने के आदेश दिनांक 06.03.2017 जारी कर दिये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। गुरदयाल सिंह पुत्र काला सिंह ने दिनांक 26.09.16 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि उक्त 25.00 बीघा भूमि का वसीयत की रूह से नामान्तरकरण करने के आदेश फरमावें। मृतक काला सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामां दिनांक 21.02.13 को तहरीर व तकमील करवाया जिसमें गुरदयाल सिंह, केहर सिहं गुरनाम सिंह पुत्र श्री काला सिंह के पक्ष में तहरीर व तकमील करवाया,उसके बाद एक नया वसीयतनामां दिनांक 09.04.13 को तहरीर व तकमील करवाया जिसमें अपने नाम की अंकित भूमि प.न. 80/336 की 25.00 बीघा भूमि अमर सिंह गुरदयाल सिंह, केहर सिहं पुत्र श्री काला सिंह के नाम से तहरीर व तकमील करवाया। अतः प्रथम व वसीयत स्वतः ही निष्प्रभावी हो गई। इसके अतिरिक्त अदालत मातहत ने तमाम कार्यवाही प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध की। सार्वजनिक सूचना नोंटिस जारी किया परन्तु उसकी पालना नहीं हुई यह नोटिस ना ही पंचायत भेजा गया और ना ही गांव भेजा गया। पुश्त से भी यह साबित नहीं होता कि नोटिस की पालना कब हुई व कहां हुई। तामील कुनिन्दा के बयान नहीं लिये। अखबार में जो सूचना भेजी गयी वह भी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.सी. 2001 पेज 114, आर. बी.जे. 2001 पेज 133, आर.आर.डी. 1999 पेज 173, आर.आर.डी. 1999 पेज 346, आर.आर.डी. 1996 पेज 16, पेश कर निवेदन है कि यह अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील स्वीकार की जावे।

4. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बताया कि अपीलार्थी व रेस्पो. के पिता काला सिंह पुत्र टहल सिंह के नाम से प.नं. 80/337 का कि.न. 1 ता 25 25.00 बीघा भूमि पैतृक थी जो कि काला सिंह की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी व रेस्पो. सभी के नाम बहिब दर्ज हुई है व चक 1 एफ. डी.एम का प.नं. 80/336 में 25.00 बीघा भूमि स्वअर्जित थी जिसे राज0 काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 39 के तहत वसीयत करने हेतु काला सिंह खातेदार पूर्णतया स्वतंत्र था। उक्त भूमि की उसने कुल तीन वसीयत रजिस्ट्रड करवाई थी। प्रथम वसीयत दिनांक 21.02.13 को उपपंजीयक अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पंजीकृत करवाई गई, जबकि पंचायती दबाव व पारिवारिक समझौते से द्वितीय वसीयत दिनांक 09.04.13 को पंजीकृत करवाई जिसके पश्चात अमर सिंह ने पिता से झगड़ा किया जिससे रूष्ट होकर काला सिंह ने तीसरी वसीयत दिनांक 25.06.14 को उपपंजीयक सूरतगढ से पंजीकृत करवाई। टाइपिस्ट की गलती से तारीख 25.06.14 की जगह पुरानी तारीख 21.02.13 लिखी गई, क्योंकि उससे पूर्व में कम्प्यूटर में फीड डाटा की नकल थी। अतः प्रथम व द्वितीय वसीयत स्वतः ही निष्प्रभावी हो गई। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने यह भी कथन किया कि विरासतन इंतकाल में नोटिस दिया जाता है तथा वारिसान को सुना जाता है अपीलकृत निर्णय वसीयत पंजीकृत पर आधारित है इससे वारिसान का व्याक्तिगत नोटिस ना दिया जाकर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है कि कोई पक्षकार जो कोई आधार व दस्तावेज रखता है वह अपना क्लेम पेश करे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ है हालांकि अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार दिनांक 06.03.17 में वसीयत दिनांक 21.02.13 जो कि दिनांक 25.06.14 को पंजीकृत हुई है के आधार पर पारित किया गया है किंतु हम दोनो वसीयतों के संबंध में समुचित साक्ष्य लेकर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.03.17 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार सूरतगढ को रिमाण्ड किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(सतवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner